



सुदृढ़ प्रजातंत्र हेतु वृहत्तर सहभागिता

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो

(राजस्व शाखा)


—: अनापत्ति प्रमाण पत्र:—

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1900/रा0, दिनांक 06.05.2015 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1817/रा0, दिनांक 30.04.2015 के आलोक चन्द्रपुरा अंचल अन्तर्गत मौजा पिपराडीह में 5000 मैट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए चयनित भूमि गैरमजरूआ डीम्ड फोरेस्ट (जंगल, जंगल झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ (जंगल, जंगल झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत् है:—

क्र0	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा (एकड़) में	किस्म भूमि
1	चन्द्रपुरा	पिपराडीह	107	47	250	47.00 एकड़ मध्ये 2.00	गैरमजरूआ खास किस्म जंगल

कुल रकवा 0.809 हे0 (2.00 एकड़) में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण / लीज बन्दोवस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।


23/15
उपायुक्त,
बोकारो।

ज्ञापांक 585/रा0, बोकारो, दिनांक 05/03/2019